

संख्या-----/2005
अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसकी धारा 19 के अनुरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित पदाधिकारियों को जन सूचना पदाधिकारी, सहायक जन सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करते हैं-

जन प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार	जन सूचना पदाधिकारी	सहायक जन सूचना पदाधिकारी
उच्च न्यायालय, पटना	निबंधक (प्रशासन)	संयुक्त निबंधक (न्या0)	सहायक निबंधक (न्या0)
जिला न्यायालय सिविल	जिला न्यायाधीश	अवर न्यायाधीश-1	प्रभारी न्यायाधीश
जिला न्यायालय आपराधिक	सत्र न्यायाधीश	मु0न्या0दण्डा0	प्रभारी न्यायाधीश
फैमली कोर्ट	प्रधान न्यायाधीश, फैमली कोर्ट	निबंधक, व्यवहार न्यायालय	पेशकार
किशोर अपराध न्यायालय	जिला न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय	प्रधान सदस्य किशोर अपराध न्यायालय	पेशकार
लेबर कोर्ट	अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय	वरिष्ठ न्यायाधीश लेबर कोर्ट/ न्यायाधीश, लेबर कोर्ट	निबंधक / लिपिक
औद्योगिक न्यायालय	अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय	सदस्य, औद्योगिक न्यायालय	निबंधक, व्यवहार न्यायालय

उच्च न्यायालय,
पटना-800001
तिथि, अक्टूबर, ----2005

(मधुसूदन सिंह)
महानिबंधक